कार्यालय आदेश सुनवाई कक्ष संख्या एस–2

सभी पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से दिनांक–16.04.2026 को सूचीबद्ध समस्त वादों की सुनवाई स्थगित की जाती है।

उपर्युक्त दिनांक को सूचीबद्ध वादों की सुनवाई निम्नखित दिनांक को होगीः–

सुनवाई तिथि	अग्रिम सुनवाई तिथि
16.04.2026	13.04.2026

अतः अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता/विपक्षी जन सूचनाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त दिनांक को होने वाली सुनवाई से सम्बन्धित आपत्ति, लिखित अभिकथनों को नियमानुसार आयोग के आधिकारिक मेल आई–डी0 (webmaster-upic@up.gov.in) (hearingcourts2.upic@up.gov.in) द्वारा आयोग को प्राप्त करा सकते है।

आज्ञा से
मा0 राज्य सूचना आयुक्त
सुनवाई कक्ष संख्या एस–2

Prashant Tripathi

(प्रशान्त त्रिपाठी)
पेशकार/निजी सचिव
सुनवाई कक्ष संख्या–2

प्रतिलिपिः– कम्प्यूटर प्रोग्रामर को आयोग की आधिकारिक वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से
मा0 राज्य सूचना आयुक्त
सुनवाई कक्ष संख्या एस–2

Prashant Tripathi

(प्रशान्त त्रिपाठी)
पेशकार/निजी सचिव
सुनवाई कक्ष संख्या–2

कम्प्यूटर ऑपरेटर
update में

अपील सं0 एस–2/1979/ए/2025

श्री मोनू कुमार बनाम ज0सू0अधि0 कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

समक्ष– श्री सुधीर कुमार सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। उभयपक्ष अनुपस्थित है।

अतः सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी की जाए। नोटिस के साथ आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति (समस्त संलग्नकों सहित), तथा आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर, पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की जाये तथा नोटिस की पावती पत्रावली पर रखी जाये, जिससे यह स्पष्ट हो कि नोटिस सम्बन्धित को प्राप्त हो गयी हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:–

1– जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुक्रम में आवेदक को 15 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करायें तथा कृत कार्यवाही की आख्या आगामी सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। **अन्यथा की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत दण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।**

2– आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि यदि संबंधित जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हें सूचना उपलब्ध करायी जाती है तो वह प्राप्त सूचना का अध्ययन करें। प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने पर वह अपना आपत्ति पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा आगामी सुनवाई तिथि पर आपत्ति की एक प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि प्राप्त सूचना से आवेदक संतुष्ट हैं, वाद निस्तारित कर दिया जाएगा।

3– सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति का यथोचित निस्तारण सुनिश्चित करते हुए संशोधित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायें तथा कृत कार्यवाही की आख्या आगामी सुनवाई तिथि पर स्वयं उपस्थित होकर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

वाद वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 28–05–2026 को पेश हों।

13–04–2026

उ0प्र0 सूचना आयोग, सुनवाई कक्ष संख्या एस–2

कार्यालय आख्या

अपरिहार्य कारणों से दिनांक –28/08/26 को नियत वादों की अग्रिम सुनवाई दिनांक –10/07/26 नियत की जाती है।

Prashant Tripathi

पेशकार

सुनवाई कक्ष संख्या एस–2